

दिनांक—10.09.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के जमुई जिले के उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:—

- श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
- श्री नजर हुसैन, विशेष सचिव
- श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
- मो0 वसीम अहमद, अपर सचिव
- श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
- श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, उप सचिव

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:—

#### I. Audit:--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जमुई जिले द्वारा कुल 17 योजनाओं में से एक का भी ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। निदेश दिया गया कि 02 दिनों के भीतर सभी 17 योजनाओं का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लोक लेखा समिति की वर्ष 2018—19 की 01 कंडिका लंबित है। निदेश दिया गया कि लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन दो दिनों के अंदर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

#### II. लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :—

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Pre CFMS Period में प्रतिनिधि भत्ता एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र/सचिव के मानदेय से संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। अंकेक्षक द्वारा बताया गया कि प्रतिनिधि भत्ता का 05 करोड़ का UC तैयार कर दो दिनों में विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही यह भी बताया कि ग्राम कचहरी न्यायमित्र/सचिव के मानदेय से संबंधित मात्र 13 लाख रुपये का ही अभिलेख अबतक प्राप्त हो पाया है, शेष अभिलेख अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि शेष राशि के अभिलेख प्राप्ति हेतु कोषागार से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

DDC को निदेश दिया गया कि BDO के साथ बैठक कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही अपने जिले में कैम्प आयोजित कर प्राथमिकता के रूप में त्वरित गति से Pre CFMS का UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(ख) Post CFMS Period में कुल 215.35 करोड़ रुपये की UC लंबित है, जिसमें से षष्ठम राज्य वित्त आयोग, 15वाँ वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, प्रतिनिधि भत्ता, एम0एन0वाई0 (पेयजल) एवं एम0एन0वाई0 (गली-नली) की UC सर्वाधिक लंबित है। DDC को निदेश दिया गया कि अंकेक्षक के साथ समीक्षा कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

### III. RGPISA- लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र:-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Allotment No. 16(AA), दिनांक- 19.07.2016 के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु DDC के कार्यालय को उपलब्ध कराये गये राशि से संबंधित 86,124 रुपये की UC लंबित है। निदेश दिया गया कि 02 दिनों के अंदर UC तैयार कर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

### IV. RGSA Capacity building & Training--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 2308 लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 840 प्रतिभागी द्वारा ही प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है जिसमें से 592 लोगो का ही प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद)

### V. मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 395 प्राप्त मामलों के विरुद्ध 369 मामलों का ससमय निष्पादन हो चुका है तथा 08 मामले लंबित है। इस संबंध में DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर मामलों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए। यदि योजना से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित योजना को GPDP में शामिल कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार.....

## **VI. जन-शिकायत—**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 12 मामलों के विरुद्ध 09 मामलों में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। DPRO को निदेश दिया गया कि जन-शिकायत से संबंधित सभी मामलों का नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक माह के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित मामलो का गंभीरतापूर्वक जाँच कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

**(अनुपालन:— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)**

## **VII. CPGRAM (Central level)—**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 10 मामले लंबित है। 02 मामले तो 400 दिनों से अधिक लंबित है। निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करें। यह भी पाया गया कि CPGRAM (Central level) में कई माह से लॉग-इन नहीं किया गया है। निदेश दिया कि सप्ताह में एक बार लॉग-इन कर मामलो का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालन:— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)**

## **VIII. पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम—**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जून एवं जुलाई 2026 में क्रमशः कुल 70 एवं 05 Aspiration के विरुद्ध 37 एवं 04 का निष्पादन किया गया है। जुलाई माह में BPRO द्वारा कुल 142 आवेदनो को Mapping ही नहीं किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि दो दिनों के भीतर सभी आवेदनो को Mapping करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी Aspiration का निष्पादन ससमय किया जाए। सभी BPRO को Aspiration एवं Grievance में अंतर ज्ञात होना चाहिए तथा Aspiration के ससमय निष्पादन की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की होगी।

**(अनुपालन:— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)**

## **IX. पंचायत सरकार भवन की समीक्षा:—**

**(क)** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल निर्मित 61 पंचायत सरकार भवन के विरुद्ध 60 PSB का हस्तांतरण हो चुका है। केवल चकाई प्रखंड के पंचायत में 01 PSB का हस्तांतरण शेष है। निदेश दिया गया कि उक्त प्रखंड के BPRO स्वयं स्थल भ्रमण कर कार्यकारी एजेंसी से समन्वय करते हुए PSB को हस्तांतरित कर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को हस्तांतरण हेतु प्रत्येक 15 दिनों में स्मारित करें।

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 60 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 60 में RTPS

केन्द्र, 60 में विद्युत कनेक्शन, 15 में डाकघर, 00 में NOFN एवं 19 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मों NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 61 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरुद्ध मात्र 03 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। यह संबंधित BPRO की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। अतएव BPRO को निदेश दिया गया कि सभी निर्मित PSB में 07 दिनों के भीतर Electricity CA No की Google Sheet में Entry करना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालन:— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)**

**(ख)** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज-1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 25 PSB के विरुद्ध 14 PSB का ही निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। 01-01 पंचायतों में प्रथम तल प्लिंथ स्तर, प्रथम तल लिंटर स्तर, प्रथम तल की छत ढलाई, द्वितीय तल लिंटर स्तर एवं द्वितीय तल की छत की ढलाई का ही कार्य किया गया है। 06 पंचायत में PSB का निर्माण कार्य फिनिशिंग स्टेज में है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि जो पंचायत सरकार भवन फिनिशिंग स्टेज में है, उसे 10 दिनों के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कराकर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। जिन पंचायतों में PSB निर्माणाधीन है, वहाँ कार्य में तेजी लाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए।

**(अनुपालन:— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)**

**(ग)** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 12 पंचायतों में भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें से मात्र 01 का ही निराकरण हुआ है। 03 पंचायतों में चिन्हित भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर है। 01 पंचायत में स्थानीय न्यायालय में Title Suit दायर है। 04 पंचायतों में समस्या का निराकरण कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। 02 पंचायतों में PSB हेतु भूमि अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि समस्या का निराकरण हो चुके पंचायतों में PSB का निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ किया जाए। जिन पंचायतों में चिन्हित भूमि पर न्यायालय में वाद दायर है, उन पंचायतों में वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए। यदि किसी पंचायत में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालन:— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)**

(घ) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 03 स्वीकृत पंचायतों के विरुद्ध TA द्वारा सभी 03 का प्राक्कलन तैयार किया गया है। TA द्वारा तैयार 03 पंचायतों के प्राक्कलन के विरुद्ध 02 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु 01 पंचायत में ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। BPRO द्वारा बताया गया कि 01 पंचायत में मुखिया द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि संबंधित मुखिया के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर विभाग को प्रतिवेदित करें। साथ ही निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें। उल्लेखनीय है कि PSB के निर्माण कार्य संबंधित BPRO की Sole Responsibility है।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

#### X. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 152 पंचायतों के विरुद्ध मात्र 10 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमें से सभी 10 पंचायतों को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा सभी 10 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है। TA द्वारा तैयार 10 पंचायतों के प्राक्कलन के विरुद्ध अबतक एक भी पंचायत में ना तो व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है और ना ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। इस पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। निदेश दिया गया कि सभी स्वीकृत पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्राप्त करते हुए अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

#### XI. मुक्तिधाम, शवदाह-गृह, मृत्यु प्रमाण-पत्र की अद्यतन स्थिति:-

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मात्र 219 मुक्तिधाम/शमशान चिह्नित किया गया है। सभी BPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। दिनांक- 15.09.2026 के बाद संबंधित पोर्टल में प्रविष्टि बंद कर दी जाएगी एवं पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित पूर्व से जिला परिषद में 30, पंचायत समिति में 25 एवं ग्राम पंचायत में 22 योजना

लगातार....

संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिले में ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध 02 शमशान/मुक्तिधाम की सूची यथशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।  
(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी )

## XII. 15वीं वित्त आयोग आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं की अद्यतन प्रगति:-

(क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत है:-

| 15वीं वित्त आयोग |                                 |              |
|------------------|---------------------------------|--------------|
| क्र०सं०          | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं | व्यय प्रतिशत |
| 01               | जिला परिषद्                     | 59.44%       |
| 02               | पंचायत समिति                    | 48.49%       |
| 03               | ग्राम पंचायत                    | 55.00%       |

सोनो एवं बरहट प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी काफी कम है। सोनो प्रखंड के BPRO द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020-21 में ही चेक के माध्यम से राशि का व्यय हो चुका है परंतु अभी भी पोर्टल पर राशि बचा हुआ दिख रहा है।

(ख) पिछले 05 वर्षों में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद् में कुल 698 के विरुद्ध मात्र 120, पंचायत समिति में 1654 के विरुद्ध 61 एवं ग्राम पंचायत में 8291 के विरुद्ध मात्र 268 योजना ही पूर्ण की गयी है।

**उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :-**

1. सोनो एवं बरहट प्रखंड के BDO से DDC को कारण-पृच्छा करने का निदेश दिया। साथ ही DPRO को निदेश दिया गया कि सोनो प्रखंड का गहन जाँच कर विभाग को प्रतिवेदित करें।
2. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

## XIII. षष्ठम राज्य वित्त-ePanchayat Bihar Portal में ली गयी योजनाओं के व्यय की अद्यतन स्थिति:-

(क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत है:-

| षष्ठम राज्य वित्त आयोग          |              |
|---------------------------------|--------------|
| त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं | व्यय प्रतिशत |
| जिला परिषद्                     | 34.38%       |
| पंचायत समिति                    | 34.49%       |
| ग्राम पंचायत                    | 28.06%       |

इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी काफी कम है।

- (ख) इमामगंज अलीनगर प्रखंड में 07, झाझा एवं लक्ष्मीपुर प्रखंड में 04-04, चकाई एवं सोनो प्रखंड में 03-03, गिद्यौर प्रखंड में 02, बरहट एवं जमुई प्रखंड में 01-01 पंचायत ऐसे हैं, जहाँ व्यय की गयी राशि शून्य है।
- (ग) पिछले 05 वर्षों में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 466 के विरुद्ध मात्र 188, पंचायत समिति में 640 के विरुद्ध 00 एवं ग्राम पंचायत में 2998 के विरुद्ध मात्र 30 योजना ही पूर्ण की गयी है।
- (घ) 15 लाख से उपर ग्राम पंचायत में 01 Scheme ऐसी है, जिसका विभागीय क्रियान्वयन कराया गया है, जो विभागीय दिशा-निर्देश का उल्लंघन है।
- (ङ) विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत विभिन्न वेंडरों में से एक ही वेंडर को 80-85% राशि का भुगतान किया गया है तथा एक ही वेंडर द्वारा कई प्रखंडों में सामग्री/सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

**उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :-**

1. इमामगंज प्रखंड के BDO से DDC को कारण-पृच्छा करने का निदेश दिया।
2. BPRO निम्न व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरुद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।
3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।
4. सामग्री/सेवाओं के क्रय एवं आपूर्ति में वेंडर एवं पंचायत समिति/पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए।

**(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)**

**XIV. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना:-**

**(क)** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चतुर्थ चरण में अद्यतन स्थिति तक जमुई जिले में कुल 4841 लक्ष्य के विरुद्ध 4665 सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन पूर्ण हो चुका है। 130 लाईट अभी भी अधिष्ठापित किया जाना शेष है। साथ ही CMS पर 72 घंटों से अधिक सिग्नल लॉस एवं फॉल्टी लाईटों की संख्या क्रमशः 980 एवं 34 है।

**(ख)** चतुर्थ चरण में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पंचायतों में Bill Submit करने के उपरांत भी भुगतान नहीं किया गया है।

CMS App के माध्यम से प्राप्त शिकायत के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 03 मामले में एक का भी निष्पादन नहीं हुआ है।

लगातार.....

(ग) दिनांक— 01.01.2026 से 09.09.2026 तक पंचायत सचिवों के द्वारा किये गये Inspection के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल 90% सोलर लाइट ON पाई गयी है, जिसमें से इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड में ON पाई गई लाइटों का प्रतिशत कम है।

यह भी पाया गया कि कुल 10 प्रखंडों में से किसी भी BPRO के द्वारा सोलर लाइट का निरीक्षण किया नहीं गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

**उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये गये :-**

1. एजेंसी से समन्वय कर 07 दिनों के अंदर 100% लाइट का अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित करें। एकरारनामा की शर्तों के अनुसार फॉल्टी, सिग्नल लॉस लाइट का 72 घंटे के अंदर निराकरण सुनिश्चित करायें।
2. पंचायत स्तर पर भुगतान कराने की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की है। यदि एजेंसी द्वारा विधिवत Bill Submit किया गया है तो सत्यापन एवं GISR पूर्ण कर अभियान चलाकर 15 दिनों के अंदर 100% भुगतान करना सुनिश्चित करें।
3. पंचायत सचिव के द्वारा इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड के Inspection में OFF पाई गयी लाइटों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

सोलर लाइट का निरीक्षण नहीं किये जाने के संबंध में जमुई जिले के सभी BPRO से स्पष्टीकरण किया जाए। साथ ही एक सप्ताह के अंदर सोलर लाइट का निरीक्षण कर प्रतिवेदन अपलोड करने का निदेश दिया गया।

**(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रशाखा-01)**

- XV.** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला स्तर पर पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक-9164 दिनांक- 17.08.2023 द्वारा निरीक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश संसूचित है। निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र के आलोक में DDC, DPRO एवं सभी BPRO पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण कर संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)**

- XVI.** समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि पंचायती राज विभाग के जिला/पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मियों द्वारा नियमित रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विस्तृत रूप में दिशा-निर्देश संसूचित कर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही सभी कर्मियों का वेतन/मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद)**

लगातार.....

**XVII. लंबित न्यायिक वाद :-**

जमुई जिले में कुल 08 CWJC लंबित है। निदेश दिया गया कि MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रशाखा-9)

**XVIII. e- GRAM KACHAHARI :-**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखंड स्तर पर प्रति ग्राम पंचायत पंजीकृत एवं निष्पादित मामलों की संख्या काफी कम है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में शून्य पंजीकृत एवं निष्पादित ग्राम कचहरियों की संख्या अधिक है, उन ग्राम कचहरियों के ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालन:- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

**XIX. विधान सभा/परिषद-**

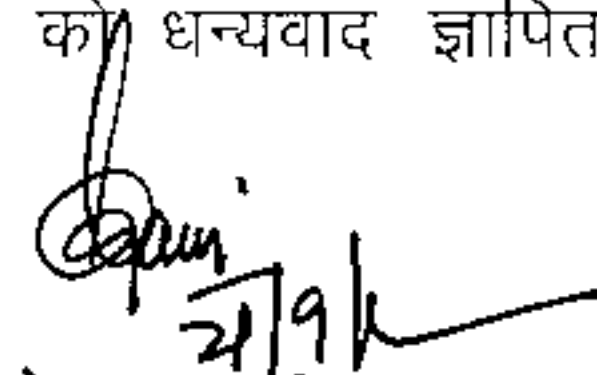
जमुई जिले में कुल 07 प्रश्न लंबित है। निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर सभी प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रशाखा)

**XX.** उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बिहार के 2052 पंचायतों में Computer System उपलब्ध कराया गया है। जमुई जिले में भी 62 पंचायतों में ये सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। निदेश दिया गया कि सभी Computer System की सही तरीके से जाँच कर Inspection Report यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

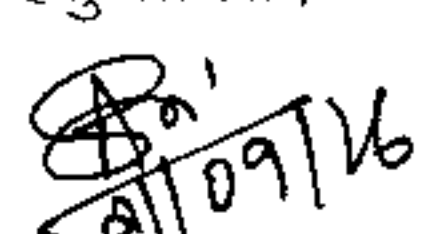
(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

  
(मनोज कुमार)  
सचिव

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक:-14प०/कार्यवाही-02-02/2026/...../पं०रा० पटना, दिनांक 22/9/2026  
प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, जमुई/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जमुई  
/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-अपर  
जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(अखिलेश कुमार सिंह)  
विशेष कार्य पदाधिकारी

लगातार.....

13464

ज्ञापांक:-14प०/कार्यवाही-02-02/2026/...../पं०रा० पटना, दिनांक 22/9/2026  
प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर  
सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी  
प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई  
हेतु प्रेषित।

(अखिलेश कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी

13464

ज्ञापांक:-14प०/कार्यवाही-02-02/2026/...../पं०रा० पटना, दिनांक...../...../2026  
प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने  
हेतु प्रेषित।

(अखिलेश कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी